नरपत सिंह बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
12.07.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु वकील वादीगण आज ही सम्मन तलबाना पेश करे। प्रतिवादीगण की तलबी सम्मन तलबाना पेश होने पर तामील जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 17.07.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीमाधोपुर(सीकर)
17.07.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तामील साधारण तरीके से असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। साक्ष्य वादीगण में वादी नरपत सिंह व रामसिंह पुत्रगण सरदार सिंह के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में वकील वादीगण ने आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय / आदेश पत्रावली दिनांक 21.07.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीमाधोपुर(सीकर)
21.07.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

नरपत सिंह बनाम [illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दफा [illegible] मु.नं. - 4/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 21/07/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
04/2022	2022/014	17.01.2022	21.07.2023

उनवान प्रकरण

1. नरपत सिंह पुत्र सरदार सिंह आयु 70 वर्ष
2. राम सिंह पुत्र सरदार सिंह आयु 55 वर्ष

जाति राजपूत निवासीगण ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–वादीगण–

बनाम्

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. पटवारी पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित :–

श्री कमलेश शर्मा प्रथम, एड0 वादीगण अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:11 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र बाबत उद्घोषणा एवं [illegible] राजस्व रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

21/07/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खाता संख्या नया 578 पुराना 826 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 3946 कुल रकबा 2.38 हैक्टर तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। जिसके 1/8 हिस्से की खातेदारी नानूसिंह पुत्र सरदार सिंह एंव 1/12 हिस्सा नानूसिंह उर्फ नरपतसिंह पुत्र सरदार सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। उक्त नाम वादी संख्या 1 का गलत दर्ज हो गया जबकि वादी संख्या 1 का सही एंव वास्तविक नाम नरपतसिंह पुत्र सरदार सिंह है तथा राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 का नाम दो जगह अंकित हो गया है जिनमें एक जगह नानूसिंह पुत्र सरदार सिंह व अन्य जगह नानूसिंह उर्फ नरपतसिंह पुत्र सरदार सिंह दर्ज हो गया हैं जबकि उक्त दोनों नामों का वादी नम्बर 1 ही है अन्य नहीं है। इसी प्रकार इसमें 1/8 हिस्सा मंगतूसिंह पुत्र सरदार सिंह एंव 1/4 हिस्स रामसिंह पुत्र सरदार सिंह के नाम से अंकित है। उक्त नाम वादी संख्या 2 का दर्ज हो गया जबकि वादी संख्या 2 का सही एंव वास्तविक नाम रामसिंह पुत्र सरदार सिंह है तथा राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 2 का नाम दो जगह अंकित हो गया है जिनमें एक जगह गलत रूप से मंगतूसिंह पुत्र सरदार सिंह हिस्सा 1/8 व अन्य जगह सही रूप से रामसिंह पुत्र सरदार सिंह दर्ज हो गया। भूमि खाता संख्या 579 पुराना 909 कृषि भूमि खसरा नम्बर 3828, 3829, 3830, 3891, 3892, 3943, 3944 कुल किता 7 कुल रकबा 3.30 हैक्टर तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर मे अवस्थित हैं। जिसके 1/8 हिस्सा नानूसिंह पुत्र सरदार सिंह एंव 1/12 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

21/07/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नानूसिंह उर्फ नरपतसिंह पुत्र सरदार सिंह के नाम से अंकित है। उक्त नाम वादी संख्या 1 का गलत दर्ज हो गया जबकि वादी संख्या 1 का सही एंव वास्तविक नाम नरपत सिंह पुत्र सरदार सिंह है तथा राजस्व रिकार्ड मर्फ वादी संख्या 1 का नाम दो जगह अंकित हो गया है। जिनमें एक जगह नानूसिंह पुत्र सरदार सिंह व अन्य जगह नानूसिंह उर्फ नरपतसिंह पुत्र सरदार सिंह दर्ज हो गया है जबकि उक्त दोनों नामों का वादी नम्बर 1 ही है अन्य नहीं है। इसी प्रकार 1/8 हिस्सा मंगतूसिंह पुत्र सरदार सिंह के नाम से अंकित है। जबकि वादी संख्या 2 का सही एंव वास्तविक नाम रामसिंह पुत्र सरदार सिंह है तथा राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 2 का नाम मंगतूसिंह गलत अंकित हो गया है। वादी संख्या 1 का सही एंव वास्तविक नाम नरपतसिंह पुत्र सरदार सिंह है तथा वादी संख्या 2 का सही एंव वास्तविक नाम रामसिंह पुत्र सरदार सिंह है। यही नाम पहचान पत्र एंव परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड में अंकित है। उक्त अलग-अलग नाम दर्ज होने से खातेदारों को जो लाभ राज्य सरकार द्वारा मिलते है। उनसे वादीगण महरूम एंव वंचित हो रहे है एंव राजस्व रिकार्ड में नाम अलग दर्ज होने से वादीगण को सख्त हक तलफी है तथा वादीगण को काफी हानि उठानी पड़ रही है। नाम शुद्धि नहीं होने से वादीगण को सरकार की तरफ से मिलने वाली सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं से मिलने वाली सहायताओं से भी हमरूम होना पड़ रहा है। वादीगण ने अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर एंव पटवारी हल्का के पास कई बार गये और दुरूस्ती के लिए निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण हां करते रहे लेकिन वादीगण का नाम एंव हिस्सा संशोधि[illegible] किया। उक्त नाम अंकित होने से वादीगण को सख्त हकतल[illegible] वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 2 से नाम राजस्व रिकार्ड में सही ना[illegible] करवाने हेतु निवेदन किया तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

21/07/21
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रतिवादी संख्या 2 ने साफ इंकार कर दिया और कहा कि न्यायालय से दुरूस्त करवाओ। इसलिए उक्त वादपत्र पेश करना लाजमी हुआ है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 3946 कुल रकबा 2.38 हैक्टर तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के 1/8 हिस्से नानूसिंह पुत्र सरदार सिंह एंव 1/12 हिस्सा नानूसिंह उर्फ नरपतसिंह पुत्र सरदार सिंह के नाम अंकित हैं। उक्त नाम एंव हिस्से का अर्थात् 1/8 + 1/12 अर्थात कुल 5/24 हिस्से में वादी संख्या 1 का नाम नरपतसिंह पुत्र सरदार सिंह अंकित किया जाकर उक्त 5/24 हिस्से का वादी नम्बर 1 नरपतसिंह पुत्र सरदार सिंह को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाये जाने तथा इसी प्रकार 1/8 हिस्सा मंगतूसिंह पुत्र सरदार सिंह एंव 1/4 हिस्सा रामसिंह पुत्र सरदार सिंह के नाम से अंकित है। उक्त नाम एंव हिस्से का अर्थात् 1/8 + 1/4 अर्थात 3/8 हिस्से में वादी नम्बर 2 का नाम रामसिंह पुत्र सरदार सिंह अंकित किया जाकर उक्त 3/8 हिस्से का वादी नम्बर 2 रामसिंह पुत्र सरदारसिंह को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाये जाने तथा इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 3828, 3829, 3830, 3891, 3892, 3943, 3944 कुल किता 7 कुल रकबा 3.30 हैक्टर तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर के 1/8 हिस्सा नानूसिंह पुत्र सरदार सिंह एंव 1/12 हिस्सा नानूसिंह उर्फ नरपत सिंह पुत्र सरदार सिंह के नाम से अंकित है। उक्त नाम एंव हिस्से का अर्थात 1/8 + 1/12 अर्थात् कुल 5/24 हिस्से में वादी संख्या 1 का नाम नरपत सिंह पुत्र सरदार सिंह को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे। इसी प्रकार 1/8 हिस्सा मंगतूसिंह पुत्र सरदार सिंह के नाम से अंकित है। जबकि वादी संख्या 2 का सही

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

एंव वास्तविक नाम रामसिंह पुत्र सरदार सिंह अंकित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति जारी की जाकर दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाये जाने हेतु वाद वास्ते उद्घोषणा एंव दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बावजूद तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2759/भू.अ./2022 दिनांक 01.11.2022 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में वकील वादीगण ने वादपत्र में पक्षकारान् के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

हमनें वकील वादीगण की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] एंव राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् [illegible] अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:11 IST
Reason: SelfAttested

21/07/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकार वादीगण के नाम हिस्सानुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर सहखातेदार दर्ज होना प्रकट होता है। वादीगण संख्या 1 व 2 आपस में एक ही परिवार से होकर उक्त भूमियों के सहखातेदार काश्तकार होना तथा अपने-अपने हिस्से की भूमियों की काश्त की सुविधा अनुसार भूमियों का काश्त किया जाना प्रकट होता है। जिसके खातेदारी अधिकारों में नाम दुरूस्त करवाये जाने तथा उसी अनुसार उद्घोषणा करवाने हेतु प्रस्तुत वादपत्र का पेश किया जाना प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि प्रार्थी नरपत सिंह पुत्र सरदार सिंह का वास्तविक नाम नानूसिंह पुत्र सरदार सिंह नहीं होकर नरपत सिंह पुत्र सरदार सिंह ही है तथा रामसिंह पुत्र सरदार सिंह का वास्तविक नाम मंगतूसिंह पुत्र सरदार नहीं होकर रामसिंह पुत्र सरदार सिंह ही सही नाम है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नानूसिंह पुत्र सरदार सिंह, नानूसिंह उर्फ नरपत सिंह पुत्र सरदार सिंह एंव मंगतु सिंह पुत्र सरदार सिंह का नाम गलत दर्ज है। जिसे दुरूस्त कर नरपत सिंह पुत्र सरदार सिंह व रामसिंह पुत्र सरदार सिंह अंकित किये जाने की अभिशंषा अपनी रिपोर्ट में की गई है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत [illegible] को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

21/07/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत उद्घोषणा एंव दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3946 कुल रकबा 2.38 हैक्टर तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के 1/8 हिस्से नानूसिंह पुत्र सरदार सिंह एंव 1/12 हिस्सा नानूसिंह उर्फ नरपतसिंह पुत्र सरदार सिंह के स्थान पर उक्त हिस्से का अर्थात् 1/8 + 1/12 अर्थात कुल 5/24 हिस्से का वादी संख्या 1 नरपतसिंह पुत्र सरदार सिंह को तथा इसी प्रकार 1/8 हिस्सा मंगतूसिंह पुत्र सरदार सिंह एंव 1/4 हिस्सा रामसिंह पुत्र सरदार सिंह के स्थान पर उक्त हिस्से का अर्थात् 1/8 + 1/4 अर्थात 3/8 हिस्से का वादी संख्या 2 रामसिंह पुत्र सरदार सिंह को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने तथा इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 3828, 3829, 3830, 3891, 3892, 3943, 3944 कुल किता 7 कुल रकबा 3.30 हैक्टर तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर के 1/8 हिस्सा नानूसिंह पुत्र सरदार सिंह एंव 1/12 हिस्सा नानूसिंह उर्फ नरपतसिंह पुत्र सरदार सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:11 IST
Reason: SelfAttested

21/07/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

के स्थान पर उक्त हिस्से का अर्थात 1/8 + 1/12 अर्थात् कुल 5/24 हिस्से मे वादी संख्या 1 का नाम नरपत सिंह पुत्र सरदार सिंह को तथा 1/8 हिस्सा मंगतूसिंह पुत्र सरदार सिंह के स्थान पर रामसिंह पुत्र सरदार सिंह को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

21/07/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 21.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/07/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.04 12:33:11 IST
Reason: SelfAttested